

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 590 तिथि- 11-03-19 के संदर्भ में श्रीमति/श्री अपनी प्रकृति
के लिए आवासीय

- (क) भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

5/004 नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०
(सी०एस०) 487/136 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 621, 121 खाता नं० 621, 121 होल्डिंग नं० 263
गौव 314 मोहल्ला 4 वार्ड नं० 25 के बाबत निम्नलिखित
शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 36.0 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 36.0 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(ज) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(झ) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस मूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(ञ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
(ऑ) कोई अन्य शर्त

आदेशानुसार
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार

मानचित्र प्रभारी

नगर निगम, पूर्णियाँ

भवन उपविधि 2014



कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-X

कार्य प्रारंभ के सूचना का फारम
(भूस्वामी एवं निर्माता/विकासक के द्वारा दिया जाएगा)

उपविधि संख्या-8(6) (घ), 10

प्रेषक,

अग्नीश कुमार, लॉबी कुमारी
एवं पुनम मुखर्जी
ग्राम पुर्वावासी, गोगुली जहा पूर्णियाँ
(नाम और पता बड़े अक्षरों में)

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम पूर्णियाँ

महोदया/महोदय

पूर्णियाँ नगर निगम/नगर/परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी
आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास
योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं० (सी०एस०) 487, 487/1360 प्लॉट
नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 171, 621 होल्डिंग नं० 352, 263 गाँव पूर्णियाँ
की बाबत भवन के निर्माण कार्य से आपके पत्र संख्या दिनांक द्वारा दिए गए अनुज्ञा
प्राधिकार/सूचीबद्ध वास्तुविद/अभियंता/संरचनात्मक अभियंता निबंधन संख्या 12/2015 के
द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देता हूँ।

विश्वासभाजन

अमिता कुमार
लॉबी कुमारी

पुनम मुखर्जी

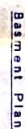
स्वामी का हस्ताक्षर

Manoj Kumar Bhagat
B.E. (Civil) FIV
Chartered Engineer (India)
Nagar Nigam, Purnea
Reg. No-12/2015

नवम उपविधि, 2014



8 10M WIDE SIDE ROAD



Basement Plan



SECTION ON 4-2

DET. OF RECHARGEABLE
BORE WALL

Side Elevation



DETAIL OF PILE FOUNDATION



FRONT ELEVATION

$\frac{CIN}{15}$ 2018-

[illegible][illegible]

6-11-19
 Municipal Chairman
 Municipal Corporation
 11/11/19
 कमीय अधिका
 बरार, जिनान, प्रसिद